<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा जिला– कोरबा (छ0ग0)</u>

<u>– कार्य विभाजन आदेष –</u>

क्रमांक : 01/सी0जे0एम0/2023 **कोरबा, दिनांक : 01/09/2023**

मैं, अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा **<u>नवीन तहसील स्थापना के फलस्वरूप</u>** दांडिक कार्य–विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेशों/ज्ञापनों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व जिला कोरबा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक प्रकरण एवं कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूं, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :–

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, चौकी सीएसईबी	**(1)** स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भादंवि के प्रकरण छोड़कर)** **(2)** कोरबा, **<u>अजगरबहार, भैसमा, बरपाली</u>** तहसील से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, नाप–तौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, मण्डी अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961 तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 **(3)** कोरबा, **<u>अजगरबहार, भैसमा, बरपाली</u>** तहसील के समस्त आबकारी अधिनियम **(पांच बल्क लीटर से अधिक से संबंधित धारा 34(2) के मामले)** के प्रकरणों का निराकरण करना। **(4)** <u>कोरबा जिला से उद्भूत होने वाले :–</u> (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1994. (2) विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 (3) कंपनीज अधि. 1956 (4) धनकर अधि. 1957 (5) दानकर अधि. 1958 (6) आयकर अधि. 1961 (7) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (8) निर्यात (क्वालिटी) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 (9) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 (10) एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिकअधिनियम 1969. (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। **(5)** वन अधिनियम के प्रकरण तथा अन्य समस्त प्रकरण जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

			(6) माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 8198/II-6-2/2020(MP/MLA)/ Chechker बिलासपुर दिनांक 19.09.2020 के आदेशानुसार एमपी/एमएलए से संबंधित प्रकरण। **(7)** तहसील कोरबा में पूर्व में कार्यरत मजिस्ट्रेट अथवा वर्तमान में तहसील कोरबा के रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेटों के वे प्रकरण जिन्हें अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हों अथवा रिक्त या पूर्व में कार्यरत न्यायालयों से संबंधित होने वाले समस्त अपराधिक प्रकरण। **(8)** स्तम्भ क्रमांक–3 में वर्णित थाना/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरण। **(9)** कोरबा राजस्व जिले के समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भुत/उत्पन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले। **(10)** ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 **(11)** क्षमा प्राप्त अभियुक्तों के मामले। **(12)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा द्वारा समय–समय पर सौपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
2.	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	थाना उरगा, चौकी मानिकपुर, थाना यातायात	**(1)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भादंवि के प्रकरण छोड़कर)** **(2)** स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित थाना एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, चौकी सीएसईबी से उत्पन्न होने वाले परिवाद, 156(3) दप्रस के प्रकरणों का निराकरण करना। **(3)** कोरबा, **<u>अजगरबहार, भैसमा, बरपाली</u>** तहसील से संबंधित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अल्पमात्रा से संबंधित उत्पन्न प्रकरण। **(4)** <u>कोरबा जिला से उद्भूत होने वाले :–</u> (1) ड्रग्स एवं कास्मेटिक अधिनियम के प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। **(5)** स्तम्भ क्रमांक–3 में वर्णित थाना/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरण।

			(6) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। **(7) कोरबा राजस्व जिले से उत्पन्न (कटघोरा, करतला, पाली न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना।** (8) तहसील कोरबा, **अजगरबहार, भैसमा, बरपाली** से उत्पन्न होने वाले **परकाम्य लिखत अधिनियम 1881** के समस्त प्रकरण। (9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय–समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।
3.	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा, जिला कोरबा छ0ग0	आरक्षी केन्द्र बालको, लेमरू, चौकी रजगामार, आरटीओ	(1) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद, 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) तहसील कोरबा, **अजगरबहार, भैसमा, बरपाली** से उत्पन्न होने वाले **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के प्रकरणों का निराकरण करना। (3) किशोर न्याय (बालकों के देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में बालकों के विरूद्ध अन्य अपराध से संबंधित मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। (4) स्तंभ कमांक 03 में वर्णित थाना एवं आरक्षी केन्द्र उरगा, कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर से उत्पन्न **धारा 354, 509 भादवि** के समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण का निराकरण करना। (5) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (6) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। (7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय–समय पर सौंपे/अंतरित किये गये समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।

4.	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (प्रशिक्षु) कोरबा		**(1)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।
5.	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (प्रशिक्षु) कोरबा		**(1)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।
6.	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा छ0ग0	आरक्षी केन्द्र कटघोरा, दर्री, पसान	**(1)** स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद, 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। **(धारा 354, 509 भादंवि के प्रकरण छोड़कर)** **(2)** आरक्षी केन्द्र कटघोरा, दर्री, पसान के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण तथा उनका खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन का निराकरण करेंगे। **(3)** तहसील कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, **दर्री, दीपका, पसान** से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नापतौल अधिनियम, मण्डी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 **(4)** तहसील कटघोरा में पूर्व में कार्यरत मजिस्ट्रेट अथवा वर्तमान में तहसील कटघोरा में रिक्त न्यायालय के मजिस्टेटों के वे प्रकरण जिन्हे अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पुर्नविचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हो अथवा रिक्त या पूर्व में कार्यरत न्यायालयों से संबंधित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। **(5)** तहसील कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, **दर्री, दीपका, पसान** से उद्भूत होने वाले समस्त आबकारी अधिनियम एवं वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे। **(6)** तहसील कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, **दर्री, दीपका, पसान** से उत्पन्न (करतला, पाली न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques(prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना। **(7)** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। **(8)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश

			कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय–समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।
7.	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र बांकीमोंगरा, दीपका	(1) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/ परिवाद, 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) आरक्षी केंद्र कटघोरा, कुसमुंडा, दर्री, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका एवं पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न होले वाले समस्त **धारा 354, 509 भादंवि** के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण का निराकरण करेंगे। (3) तहसील कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, **दर्री, दीपका, पसान** से उद्भूत होने वाले **घरेलू हिंसा** से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण। (4) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (5) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। (6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय–समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।
8.	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा छ.ग.	आरक्षी केन्द्र कुसमुण्डा, बांगो	(1) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले (थाना कुसमुण्डा के चौकी हरदी बाजार को छोड़कर) आपराधिक /परिवाद, 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (3) तहसील कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, **दर्री, दीपका, पसान** से उद्भूत होने वाले **पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881** के समस्त प्रकरण। (4) स्तम्भ कमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय–समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।

9.	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा, जिला कोरबा छ0ग0		**(1)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा अंतरित मामले का निराकरण करना।
10.	श्रीमती बरखा रानी वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला, जिला–कोरबा छ.ग.	आरक्षी केन्द्र करतला, श्यांग	**(1)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद, 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। **(2)** तहसील करतला से उत्पन्न/उद्भुत होने वाले वन अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम के मामलों का निराकरण करना। **(3)** तहसील करतला से उद्भूत होने वाले, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नाप–तौल अधिनियम, मंडी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 **(4)** तहसील करतला से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण। **(5)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण के खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन। **(6)** तहसील करतला से उत्पन्न (कटघोरा, पाली न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques(prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना। **(7)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007। **(8)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय–समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।
11.	कु0 श्वेता मिश्रा, न्या0मजि0 प्रथम श्रेणी पाली जिला कोरबा छ.ग.	आरक्षी केन्द्र पाली, हरदी बाजार	**(1)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद, 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। **(2)** तहसील पाली, **हरदी बाजार** से उत्पन्न/उद्भुत होने वाली वन अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम के मामलों का निराकरण करना। **(3)** तहसील पाली, **हरदी बाजार** से उद्भूत

			होने वाले, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नाप–तौल अधिनियम, मंडी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **(4)** तहसील पाली, **<u>हरदी बाजार</u>** से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 **(5)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण के खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन। **(6)** तहसील पाली, **<u>हरदी बाजार</u>** से उत्पन्न (कटघोरा, करतला न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) Pre-Conception and Pre-Natal DiagnosticTechniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना। **(7)** स्तम्भ क्रमांक–03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **(8)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय–समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।

<u>– :: आवश्यक टीप ::–</u>

(1) किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय दौरे पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या किसी न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य **<u>तालिका क्रमांक–01</u>** के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड कोरबा के प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में बैठक होने के कारण उक्त दिनों में उनके न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों अथवा तात्कालिक सुनवाई हेतु प्रकरणों का निराकरण **<u>तालिका क्रमांक–01</u>** के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।

(4) धारा–164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियों को **<u>तालिका क्रमांक–02</u>** के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जायेगा। तालिका क्रमांक–02 के अनुसार यदि **<u>कोई मजिस्ट्रेट लगातार अवकाश पर चला जाता है तो</u>** उसके नाम के आगे बढ़ते हुए क्रम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के धारा–164 दं0प्र0सं0 के तहत् संस्वीकृतियों/कथन दर्ज करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले

थाना क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

(6) कोरबा – मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य स्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से शासित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकारिता रखने वाले क्षेत्र में माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा की पूर्वानुमति से एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा को सूचित करते हुए दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना किया जायेगा, चलित न्यायालय अपने थानों के क्षेत्राधिकार में लगाई जा सकेगी।

(7) तालिका क्रमांक–01 के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके सम्मूख अंकित मजिस्ट्रेट बढ़ते हुए क्रम के अनुसार दूसरे मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे, जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखें कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–468 (2) के उपबंधों की अवहेलना न हो।

(8) कोरबा जिले के समस्त थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मोटरयान संहिता से संबंधित ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि उनके अर्थदण्ड देने के क्षेत्राधिकार से अधिक अर्थदण्ड दिया जाना विधि में अपेक्षित होगा, ऐसे मामलों का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा किया जायेगा। ऐसे मामलों से संबंधित थाना क्षेत्राधिकार के विवेचक सीधे इस्तगाशा/प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष पेश कर सकेंगे।

(9) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(10) अवकाश में अथवा मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व देंगे।

(11) कु0 श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली, श्रीमती बरखा रानी वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला के द्वारा प्रत्येक शासकीय या अन्यथा घोषित अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड संबंधी प्रत्येक आवश्यक कार्य का संपादन किया जावेगा और **मुख्यालय कोरबा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कटघोरा तहसील** में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमाण्ड संबंधी विविध आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

(12) तालिका क्रमांक–1 एवं तालिका क्रमांक–2 में दिये गये क्रमांक एवं विशिष्टियों को उनके निरंतरता के क्रम (बढ़ते हुए क्रम) में पढ़ा जायेगा।

(13) सिविल जिला एवं रेवेन्यू जिला कोरबा के कोरबा एवं करतला तहसील के परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा कटघोरा, पोड़ी–उपरोडा एवं पाली तहसील के परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण हेतु पृथक से कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा एवं कटघोरा में कार्यरत है।

(14) किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर (बालक) से संबंधित प्रकरण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा में स्थापित है। बुधवार को छोड़कर शेष कार्य दिवस का किशोर न्याय अधिनियम का रिमाण्ड **प्रधान मजिस्ट्रेट/नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य** के समक्ष प्रस्तुत होगा। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड कोरबा द्वारा उक्त संबंध में पृथक से ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है।

(15) भारतीय रेल्वे अपराध से संबंधित मामले हेतु विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट का न्यायालय बिलासपुर में स्थापित है।

(16) किसी शंकास्पद परिस्थितियां उत्पन्न होने की स्थिति में मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामलों का निराकरण किया जायेगा।

तालिका क्रमांक–01
(अत्यावश्यक कार्यों का निष्पादन)

क्र.	स्तम्भ क्र0–01	स्तम्भ क्र0–02	स्तम्भ क्र0–03	स्तम्भ क्र0–04	स्तम्भ क्र0–05
1.	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा	बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा श्री	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
2.	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
3.	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
4	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (प्रशिक्षु) कोरबा	श्रीमती ऋचा यादव,न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (प्रशिक्षु) कोरबा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा श्री	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा
5	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (प्रशिक्षु) कोरबा	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (प्रशिक्षु) कोरबा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा श्री	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा
6.	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
7.	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
8.	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
9.	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
10.	कु0 श्वेता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

				कटघोरा	श्रेणी कोरबा
11.	श्रीमती बरखा रानी वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा

तालिका क्रमांक–02

(धारा–164 के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियां दर्ज करना)

क्र0	स्तम्भ क्र0–01 थाना	स्तम्भ क्र0–02	स्तम्भ क्र0–03	स्तम्भ क्र0–04	स्तम्भ क्र0–05
1.	आरक्षी केंद्र कोतवाली, सीएसईबी, सिविल लाईन रामपुर	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
2.	आरक्षी केंद्र बालको नगर, चौकी रजगामार, लेमरू	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबाश्रीमती	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
3.	आरक्षी केन्द्र उरगा, चौकी मानिकपुर	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
4.	आरक्षी केंद्र उरगा, कोतवाली, बालको नगर, करतला, श्यांग, लेमरू से उत्पन्न **धारा–354, 509 भा0दं0वि0 के मामले।**	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
5.	आरक्षी केंद्र करलता, श्यांग	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
6.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्री, पसान	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
7.	आरक्षी केन्द्र बांकीमोंगरा, दीपका	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
8.	आरक्षी केंद्र कुसमुण्डा, बांगो	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा

9.	आरक्षी केंद्र पाली	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
10.	आरक्षी केंद्र कोतवाली, बालको नगर, उरगा, करतला, श्यांग, अजाक, लेमरू से उत्पन्न **<u>लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले।</u>**	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
11.	किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में पेश होने वाले सभी प्रकरणों में।	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	—
12.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्री, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान, पाली से उत्पन्न **<u>लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मामले</u>**	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा	—
13.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्री, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान, पाली से उत्पन्न **धारा–354, 509 भा0दं0वि0 के मामले।**	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री बृजेश राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा

स्थान :– कोरबा (छ0ग0)
दिनांक :– 01/09/2023

(अश्वनी कुमार चतुर्वेदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा (छ0ग0)